



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64021

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6017/2026

दिलशाद

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, प्रांजल चौधरी

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल चौधरी, राज्य के विद्वान एजीए श्री उमा शंकर मिश्रा को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक दिलशाद की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे पुलिस स्टेशन इकोटेक-3, जिला गौतम बुद्ध नगर में दर्ज मामला अपराध संख्या 331/2025, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/20/29 के तहत चल रहे मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि आवेदक बेकसूर है और उसे इस मामले में किसी निजी दुश्मनी के चलते झूठा फंसाया गया है। यह भी दलील दी गई है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसका नाम सह-आरोपी आसु उर्फ आशु के बयान में सामने आया। एफआईआर के मुताबिक, आवेदक और सह-आरोपी के पास से 82 ग्राम हेरोइन मिली है। आगे यह दलील दी जाती है कि पुलिस ने एन.डी.पी.एस. कानून की धारा 50 और 52-ए के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया है और आवेदक का छह मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका ब्यौरा दिया गया है। आगे यह भी दलील दी जाती है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है।

4. प्रति विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है।

5. याचिकाकर्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और उसका नाम सह-आरोपी आसू उर्फ आशु के इकबालिया बयान में सामने आया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता और सह-आरोपी के कब्जे से 82 ग्राम हेरोइन बरामद होने की बात कही गई है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 और 52-ए के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया है और याचिकाकर्ता का छह मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे स्पष्ट किया गया है। आगे तर्क दिया जाता है कि पुलिस ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 और 52-ए के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया है। आवेदक 28.01.2026 से जेल में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. सभी तथ्यों, प्रकृति और दस्तावेजों से मिले सबूतों को ध्यान में रखते हुए और एन.डी.पी.एस. कानून की धारा 37 को भी देखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, अग्रिम जमानत दी जा सकती है। इसलिए, यह जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

7. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक **दिलशाद** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, भय या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप विरचन और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक तय तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च 2026/एमन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”